WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032025-261672
CG-DL-E-17032025-261672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2025/फाल्गुन 26, 1946
No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2025/PHALGUNA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

सं. 03/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 175(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'वैक्यूम इंसुलेटेड फलास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 96170011, 96170012 और 96170090 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 6/10/2023-डीजीटीआर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के अलावा,इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विचारार्थ उत्पाद विषयगत देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) विषयगत वस्तुओं की डंपिंग के परिणामस्वरूप भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के स्तर से नीचे है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं	शीर्षक/उप शीर्षक/ टैरिफ मध्	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	96170011, 96170012, 96170090	'वैक्यूम इंसुलेटेड फलास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोई	1,732	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

* "वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन हैं जैसे वैक्यूम इंसुलेटेड कप/मग, बोतल/फ्लास्क और कराफ/केटल हैं, जिनमें फ्लास्क के वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन शामिल हैं। बर्तन और कंटेनर जैसे डिस्पेंसर, केसरोल, वैक्यूम लंच बॉक्स/टिफिन, आइस बकेट और बॉक्स आदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, सिंगल वालड फ्लास्क अर्थात बिना वैक्यूम के फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केटल और अन्य इलेक्ट्रिक बर्तन पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।"

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. 190354/37/2025-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025

No. 03/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 175(E).—Whereas, in the matter of "vacuum insulated flask and other vacuum vessels, of stainless steel" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 9617 00 11, 9617 00 12, 9617 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 06/10/2023-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th December, 2024, has, *inter alia*, come to the conclusion that-

i. the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;

ii. the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;

iii. the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Heading/ Subheading/ Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	9617 00 11, 9617 00 12, 9617 00 90	Vacuum insulated flask and other vacuum vessels, of stainless steel*	China PR	Any including China PR	Any	1,732	MT	USD

**"Vacuum insulated flask and other vacuum insulated vessels, of stainless steel" such as vacuum insulated cups/ mugs, bottles/ flasks, and carafes/ kettles including vacuum-insulated body of flask and other vacuum-insulated vessels. Vessels and containers like dispensers, casseroles, vacuum lunch boxes/ tiffin, ice buckets and boxes, etc. fall outside the scope of the product under consideration. Further, single walled flask i.e., a flask with no vacuum, electric kettles and other electric vessels are excluded from the scope of the PUC.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 190354/ 37/ 2025-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.